राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27( ) ग्राविवि/ग्रुप–5/ जयपुर, दिनांक 23/11/2017

–: बैठक कार्यवाही विवरण :–

राजस्थान फाउण्डेशन द्वारा प्रस्तावित स्ववित्त पोषित योजना "मुख्यमंत्री ग्राम चौपाल योजना" के क्रम में माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 03.07.2017 को उनके कक्ष में अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, आयुक्त राजस्थान फाउण्डेशन एवं शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज के साथ बैठक आयोजित हुई।

राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु प्रवासी राजस्थान उद्योगपतियों द्वारा स्ववित्त पोषण योजना "मुख्यमंत्री ग्राम चौपाल योजना" के सम्बन्ध में आयुक्त राजस्थान फाउण्डेशन द्वारा अवगत कराया कि इस योजना के माध्यम से प्रत्येक गॉव में सीमेन्ट बैंचेज ग्राम पंचायत के द्वारा चिन्हित स्थानों पर स्थापित की जावेगी। बैंचेज स्थापित करने के लिए सार्वजनिक स्थान का चयन ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा ग्राम सभा के साथ परिचर्चा कर किया जा सकता है। इस योजना के अन्तर्गत स्थापित की गई बैंचेज के रख–रखाव आदि के लिए ग्राम पंचायत (सरपंच) को ही केयर–टेकर नियुक्त किया जा सकता है।

आबादी के अनुसार प्रत्येक गांव में कम से कम 10 सीमेन्ट बैंचेज या अधिक आवश्यकतानुसार स्थापित की जाए जिससे ग्रामवासियों को आपसी परिचर्चा एवं विश्राम के लिए सुविधा प्राप्त हो सके।

इसके लिए पृथक से "मुख्यमंत्री ग्राम चौपाल योजना" के नाम से फण्ड स्थापित किया जा सकता है। इस फण्ड को प्रवासी एवं अप्रवासी राजस्थानी उद्योगपतियों के सहयोग से विकसित किया जा सकता है। इस क्रम में राजस्थान फाउण्डेशन की ओर से राशि 5,00,000/– रुपये (पांच लाख रूपये) का अंशदान प्रस्तावित है। साथ ही सीएसआर के तहत विभिन्न कम्पनियों का योगदान भी इसमें शामिल किया जा सकता है।

पहले चरण में यह योजना शेखावटी क्षेत्र (चूरू, झुन्झुनू एवं सीकर जिले) से प्रारम्भ की जा सकती है चूंकि ज्यादातर प्रवासी राजस्थानी इन्हीं जिलों से सम्बन्ध रखते है।

चूरू	–	253 ग्राम पंचायत
झुन्झुनू	–	299 ग्राम पंचायत
सीकर	–	392 ग्राम पंचायत
कुल	–	894 ग्राम पंचायत

बैठक में चर्चा उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये :–

1. योजना को पाइलेट बेसिस पर लागू किया जावे।
2. योजना हेतु पाइलेट बेसिस पर प्रारम्भ करने हेतु राजस्थान फाउण्डेशन की ओर से प्रस्तावित अंशदान राशि 5 लाख रू. को बढाकर 50 लाख रू. उपलब्ध कराई जावें।
3. योजनान्तर्गत सम्पूर्ण राशि उपलब्ध कराने वाले प्रवासी एवं अप्रवासी राजस्थानी उद्योगपतियों को प्रोत्साहन हेतु उनका स्थान का नाम/नामकरण किये जाने का प्रावधान किया जावे।
4. उक्त प्रावधानों के साथ योजना का प्रारूप प्रशासनिक अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जावे।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(के.के.शर्मा) 2/11
अधीक्षण अभियंता, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान फाउण्डेशन, राजस्थान।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/महात्मा गांधी नरेगा।

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि 23/8